

# एनआईडीपी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 4वीं मंजिल, स्काॅर्पियो हाउज़, हिरानंदानी गार्डन्स, सेंट्रल एवेन्यू, पवई, मुंबई - ४०० ०७६

संचार पता: १२वीं मंजिल, नॉलेज पार्क, हीरानंदानी बिजनेस पार्क, पवई, मुंबई - ४०० ०७६

Email: regulatory.nidp@tuco.in

माननीय उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन ("यूपीईआरसी") द्वारा, दिये गये आदेश १९.०६.२०२३ दिनांकित, एनआईडीपी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एनआईडीपी) को वितरण लाइसेंस मंजूर किया गया था और उसके बाद दिनांक २०.०६.२०२३ को लाइसेंस, २०२३ का क्र.१ मे. एनआईडीपी डेवलपर्स प्रा. लि. को सप्लाई क्षेत्र में, यानी कि प्लॉट क्र. ७, नॉलेज पार्क -५, ग्रेटर नोईडा, उत्तर प्रदेश स्थित डेटा सेंटर पार्क में, बिजली वितरण का व्यवसाय करने के लिए जारी किया गया था।

माननीय यूपीईआरसी द्वारा, दिये गये आदेश ०९.०२.२०२४ दिनांकित, याचिका २०२३ का क्र. २०५२ में, नोड्डा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) की वित्तीय वर्ष २०२३-२४ की टैरिफ तथा दर-सूचि को, एनआईडीपी डेवलपर्स प्रा. लि. की सीलिंग टैरिफ के रूप में मंजूर किया था।

माननीय यूपीईआरसी द्वारा, २०२३-२४ और २०२४-२५ के लिए एनआईडीपी डेवलपर्स प्रा. लि. के लिए मंजूर किया गया टैरिफ निम्नानुसार है:

टैरिफ श्रेणी	निश्चित शुल्क	ऊर्जा शुल्क
<b>उच्च वोल्टेज</b>		
<b>एचवी-१</b> वाणिज्यिक भार / निजी आस्थापन / गैर-निजी थोक ऊर्जा उपभोक्ता, मंजूरीकृत भार ७५ किवाँ और उससे अधिक और जिनको ११ केवी और उससे अधिक फीडर पर से सिंगल पॉइंट सप्लाई प्राप्त हो रही है (टैरिफ)	₹४००/ केवीए/महीना	₹८.०२/ केवीएएच
<b>एचवी-१</b> वाणिज्यिक भार / निजी आस्थापन / गैर-निजी थोक ऊर्जा उपभोक्ता, मंजूरीकृत भार ७५ किवाँ और उससे अधिक और जिनको ११ केवी और उससे अधिक फीडर पर से सिंगल पॉइंट सप्लाई प्राप्त हो रही है (नियामक डिस्काउंट के बाद टैरिफ)	₹३६०/ केवीए/महीना	₹७.२९/ केवीएएच
<b>कम मध्यम वोल्टेज</b>		
<b>एलएमवी-९:</b> अस्थायी सप्लाई - सी) अन्य सभी उद्देश्यों के लिए मीटर्ड सप्लाई: निर्माण भार (टैरिफ)	₹३००/ केडब्लू/महीना	₹९.००/ केडब्लूएच
<b>एलएमवी-९:</b> अस्थायी सप्लाई - सी) अन्य सभी उद्देश्यों के लिए मीटर्ड सप्लाई: निर्माण भार (नियामक डिस्काउंट के बाद टैरिफ)	₹२७०/ केडब्लू/महीना	₹८.१०/ केडब्लूएच

सूचना: समय समय पर, माननीय यूपीईआरसी द्वारा एनपीसीएल के लिए जारी किये गये टैरिफ आदेश के आधार पर टैरिफ संशोधित किया जाएगा, जब तक एनआईडीपी का टैरिफ निश्चित नहीं हो जाता। उपरोक्त तालिका में जो श्रेणियाँ समाविष्ट नहीं हैं, उनके लिए एनआईडीपी का टैरिफ निश्चित होने तक, समय समय पर एनपीसीएल के लिए मंजूर टैरिफ लागू रहेगा। अन्य सभी प्रावधान (सामान्य प्रावधान/ प्रोत्साहन / छूट / दंड / रीबेट आदी, प्रकीर्ण शुल्क-सूचि सहित) वैसे ही लागू होंगे, जैसे एनपीसीएल के लिए उनके टैरिफ आदेश में मंजूर किया गया है।

विस्तृत टैरिफ सूचि [www.tuco.in](http://www.tuco.in) वेबसाइट पर उपलब्ध है।

दिनांक: २७.०३.२०२४

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता